

न्यायालय तहसीलदार जालोर

सरकार बनाम धर्मराम पुत्र अमराराम जोगी निवासी जालोर, पारस
पुत्र तेजाराम जोगी नि. देलदरी हाल जालोर

मुकदमा नं. 54/2019 RCMS - 00008/2020

धारा 91 LR ACT 1956

निर्णय

दिनांक 7.7.2020

पत्रावली आज पेश हुई गैर सायल उपस्थित, पटवारी हल्का जालोर सी की रिपोर्ट अनुसार मौजा जालोर सी के खसरा नं. 2252 रकबा 0.0315 किस्म गै.मु.गोचर भूमि पर संवत् 2077 मे कब्जा रूप मे अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जो दर्ज रजिस्टर कर नियमानुसार गैर सायल को धारा 91 (3) के तहत जरिये नोटिस तलब किया गया, गैर सायल ने उपस्थित होकर मय प्रार्थना पत्र इकरारनामा बेचाननामा व पानी बिल की छायाप्रति पेश की जो शामिल मिसल की गई। पत्रावली का अवलोकन किया जिसमे भूमि की किस्म गै.मु.गोचर होने से प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी मे है। गैर सायल को पर्याप्त समय देने के बावजूद भी कब्जे की वैधता के संबध मे कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं किया। अतः राज0 भू0रा0 अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर जुर्माना ग्राम की दर 16.00 रुपये प्रति हैक्टर के हिसाब से 0.0319 हैक्टर की दर 0.50 रुपये का पचास गुणा से 25/- रुपये अक्षरे पच्चीस रुपये आरोपित किया जाता है। मौके पर से भौतिक रूप से बेदखली के आदेश दिये जाते है पटवारी हल्का को बेदखल हेतु व टी.आर.ए. मांग कायमी हेतु एवं सहायक अभियन्ता जनस्वास्थ्य अभि. विभाग जालोर को पानी का संबध विच्छेद करने हेतु पत्र लिखा जावे पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 7.7.2020 को सुनाया गया।

(मादाराम मीणा)

तहसीलदार, जालोर